

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ५५३ / 2022 दिनांक : ०१.02.2022

श्री बरकत अली (RJ1030), विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-03, पाली को दिनांक 14.01.2022 से 19.01.2022 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री अली की अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-02, पाली ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-03, पाली के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

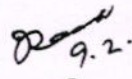
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 03.02.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/25/2005/ 919

दिनांक : 09.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-03, पाली को उनके पत्रांक 60 दिनांक 20.01.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री बरकत अली (RJ1030), विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-03, पाली ।
4. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-02, पाली ।


सहायक रजिस्ट्रार 9.2.2022